UPRB010037872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1611/2026

राम मिलन आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र स्व० खरगू, निवासी ग्राम व पोस्ट अमावॉ, थाना बछरावां, तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली। वर्तमान पता ग्राम रतनापुर, थाना निगोहां, जिला लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी।

19–06–2026

आवेदक–अभियुक्त **राम मिलन** की ओर से यह तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 BNSS, अपराध संख्या **10/2026**, धारा–**318(4),338, 336(3), 340(2), 352,351(3)भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **महराजगंज,** जिला **रायबरेली,** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके पूर्व के प्रथम व द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति में निरस्त किये गये है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा जरिए जनता दर्शन पुलिस अधीक्षक, सम्बन्धित थाने में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि प्रार्थी बृजपाल पुत्र खरगू निवासी ग्राम अमावां थाना बछरावां, जिला रायबरेली का रहने वाला है। घटना दिनांक 10.01.2026 को शाम लगभग 4 बजे की है जब प्रार्थी अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा था तभी विपक्षी राकेश कुमार पुत्र मोहनलाल निव उपरोक्त आया, प्रार्थी को गालीगलौज देते हुए कहने लगे कि यह खेत मैंने खरीद लिया है अब इ खेत में में तुम कुछ मत करना प्रार्थी ने कहा यह भूमि मेरी है, इस भूमि का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और खतौनी पर स्थगन आदेश दर्ज है तो आप कैसे खरीद सकते है इतने में विप आग बबूला हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा तभी वहां पर गांव के अन्य लोगों इकट्ठा होते देख विपक्षी जान से मार डालने की धमकी देते हुए चला गया, प्रार्थी दिनांक 12.01.2026 को रजिस्ट्रार कार्यालय महराजगंज में जानकारी किया और बैनामा की नकल निकलवाया तो पता चला कि दिनांक 26.11 2025 को सुखराना ने राकेश कुमार को उपरोक्त सम्पत्ति का बैनामा कर दिया और जो खतौनी बैनामा में लगायी गयी उसमें स्टे के आर्डर को मि कर लगाया गया है, जिसमें गवाह संजीव कुमार गौतम पुत्र छोटेलाल व मनीष कुमार पुत्र सीतार निवासी उपरोक्त एवं सुखराना के पति राममिलन व अमावां के दोतीन प्रापर्टी डीलरों ने मिलकर खतौनियों में गाटा सं073, 442, 1004, 1005, 1006, 1078, 1085, 1086, 1100, 11. 1464, 1121 में स्टे आर्डर मिटा कर, कूट रचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर, धोखाधड़ी करके

रजिस्ट्री आफिस में बैनामा राकेश कुमार के नाम करवा दिया। जिसमें सभी विपक्षीगणों ने सोचसमझ कर आपराधिक षडयन्त्र के तहत बैनामा करवा दिया। जो फर्जी है बैनामें को मोनू मौर्या द्वारा दिया गया है जो इस घटना में संलिप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना अभी प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन आख्या का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त निर्दोष है, उसे पुलिस द्वारा रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता श्रीमती सुरजा के द्वारा प्रार्थी की पत्नी के पक्ष में किये गये बैनामें के बाद प्रार्थी की पत्नी ने अपने नाम बैनामें वाली हिस्से की भूमि का बैनामा सह अभियुक्त राकेश कुमार के पक्ष में दिनाँक 26.11.2025 को निष्पादित किया था। सह अभियुक्त राकेश कुमार के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी द्वारा किये गये बैनामा दिनोंकित 26.11.2025 के निरस्तीकरण हेतु सिविल वाद दाखिल किया गया है जो विचाराधीन है। उक्त वाद को प्रार्थी/अभियुक्त वादी मुकदमा एवं प्रार्थी की पत्नी – सुरजा के द्वारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर निर्णीत कराने को तैयार है तथा उक्त बैनामे को निरस्त कराने हेतु तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत विकय विलेख निष्पादन में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है प्रार्थी/अभियुक्त न तो निष्पादनकर्ता है और न ही उसमें गवाह है तथा न ही प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त बैनामें के बावत कोई प्रतिफल प्राप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रश्नगत बैनामें से किसी प्राकर का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी को मात्र उसकी पत्नी द्वारा किये गये बैनामें के आधार पर झूठा फसाया गया है। मुकदमा वादी/विपक्षी संख्या–2 द्वारा प्रकरण के सही तथ्यो को छिपाते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है जो पूर्णतया झूठी एवं फर्जी है। मुकदमा वादी के द्वारा उसकी माँ श्रीमती सुरजा के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी के नाम निष्पादित किये गये विक्रय विलेख की जानकारी होने के उपरान्त भी उक्त तथ्य को छिपाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त एवं विपक्षी संख्या–2 दोनो सगे भाई है, विपक्षी संख्या–2 प्रार्थी/अभियुक्त के हिस्से वाली भूमि को बेईमानीपूर्वक प्राप्त करने के लिये झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विकय विलेख सह अभियुक्त राकेश कुमार के पक्ष में निष्पादित किया है उक्त भूमि प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी द्वारा अपनी सास सुखराना से जरिये पंजीकृत विकय विलेख कय किया था। प्रार्थी/अभियुक्त एक सभ्य व्यक्ति है उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमें के अतिरिक्त पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा है। थाना महराजगंज की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को लगातार गिरफ्तार किये जाने हेतु प्रयासरत है तथा प्रार्थी के पारिवारिक सदस्यो को लगातार परेशान किया जा रहा है। आवेदक–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक –अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। आवेदक–अभियुक्त कथित घटना में संलिप्त रहा

है। विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्य से आवेदक के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत जमीन प्रार्थी/अभियुक्त की माता के नाम थी। वादी द्वारा दिनांक 11–07–2022 को समस्त भूमि का दानपत्र/हिबानामा अपनी माँ से करा लिया गया और उक्त हिबानामा के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दीवानी वाद योजित किया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा भी उक्त हिबानामा को धोखाधड़ी से दर्ज कराया जाना बताया गया है। प्रश्नगत बैनामे को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा नही, बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त सं० 1 सुखराना है, के द्वारा अभियुक्त सं० 2 राकेश कुमार के पक्ष में निस्पादित किया गया है जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत बैनामा से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई सम्बन्ध व सरोकार होना नही माना जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत बैनामा के निरस्तीकरण हेतु दीवानी वाद उक्त के क्रेता अभियुक्त सं० 2 की ओर से योजित किया गया है, जो अभी लम्बित है।

जहाँ तक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा लिये गये उपरोक्त बचाव का प्रश्न है अभियोजन कथानक व अभी तक विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्य से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर दिनांक 26.11.2025 को अपनी पत्नी अभियुक्त सं० 1 सुखराना से अभियुक्त सं० 2 राकेश कुमार के पक्ष में बैनामा निस्पादित कराये जाने व उक्त बैनामा निस्पादित कराये जाने हेतु वादी को दानपत्र/हिबानामा से प्राप्त गाटा गाटा सं073, 442, 1004, 1005, 1006, 1078, 1085, 1086, 1100, 11. 1464, 1121 , कुल 12 खेतौनियों में दर्ज स्टे आर्डर मिटा कर, कूट रचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर, धोखाधड़ी करके प्रश्नगत बैनामा निस्पादित कराये जाने का अभियोग है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त नही पाता हूँ। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक–अभियुक्त को **राम मिलन** ओर से अपराध संख्या **10/2026,** धारा–**318(4),338,336(3),340(2),352,351(3)भारतीय न्याय संहिता2023,** थाना **महराजगंज,** जिला **रायबरेली,** के मामले में प्रस्तुत तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
19–06–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.06.19 13:29:59 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli